झारखण्ड सरकार

पंचायती राज, एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल)
(पंचायत राज निदेशालय)

अधिसूचना

जी०एस०आर० – 96 / रॉची, दिनांक – 28/1/04

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 114 की उपधारा (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त एवं प्रकिया) नियमावली, 2002 जिसके प्रारुप का प्रकाशन अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, बनाते हैं।

झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त एवं प्रकिया) नियमावली, 2002

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।

(क) यह नियमावली झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त एवं प्रकिया) नियमावली, 2002 कही जा सकेगी;

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी;

(ग) यह अगले पाँच वर्षों तक अथवा अगला पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा तक, जो पहले से लागू रहेगी एवं तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार अधिसूचना द्वारा पुर्न लागू की जा सकेगी।

(2) परिभाषाएँ ।

(क) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 114 (1) के अधीन गठित झारखण्ड राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष;

(ग) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 114 (1) के अधीन गठित झारखण्ड राज्य वित्त आयोग का सदस्य;

(घ) "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 114 (1) के अधीन गठित झारखण्ड राज्य वित्त आयोग।

(3) वित्त आयोग का स्वरुप ।

(क) झारखण्ड राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति नियम (4) में विर्निदिष्ट अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी;

(ख) नियम 3 (क) में विर्निदिष्ट अहर्ता पर पदस्थापन संवर्ग नियंत्रित करने वाले सरकारी विभाग/मंत्रालय/संस्थाओं द्वारा किया जायेगा;

(ग) निदेशक, पंचायत राज, झारखण्ड, रॉची इस आयोग के पदेन सचिव होंगे।

कृ०पृ०उ०.........

(4) झारखण्ड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए अहर्ताएँ ।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा की जायेगी :–

(i) लोक मामलों से संबद्ध अनुभव प्राप्त व्यक्ति;

(ii) लोक नीति के अनुभव प्राप्त व्यक्ति;

(iii) लोक प्रशासन वित्त और जिला प्रशासन एवं पंचायत राज संस्थाओं या नगर निकायों से संबंधित वित्तीय मामलों के विस्तृत अनुभव प्राप्त व्यक्ति;

परन्तु यह कि सरकार उसी गैर सरकारी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी जिसे पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के वित्तीय मामलों का विस्तृत अनुभव प्राप्त हो।

(5) वेतन एवं भत्ते ।

(क) अध्यक्ष एवं सदस्यों जो सरकारी सेवा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे तथा उन्हें वही वेतन एवं भत्ते का भुगतान होगा जो उन्हें अपने पैतृक विभाग में देय होते हैं;

(ख) सेवा निवृत एवं गैर सरकारी व्यक्तियों का वेतनमान सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत स्थिति के आलोक में निर्धारित किया जायेगा।

(6) कार्यावधि ।

(क) अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यावधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए या 65 वर्ष की अधिकतम उम्र – सीमा, जो पहले पूरा हो, रहेगी। आवश्यकतानुसार सरकार कार्यकाल का विस्तार अधिकतम उम्र सीमा के अन्दर कर सकती है;

(ख) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार के वित्त सचिव को स्वयं लिखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा, किन्तु जबतक सरकार द्वारा उसका त्याग पत्र मंजूर नहीं कर लिया जाये, वह अपने पद पर बने रहेंगे;

(ग) अध्यक्ष या सदस्य के त्याग पत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नई नियुक्ति से की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य या अध्यक्ष जिस सदस्य या अध्यक्ष के स्थान पर नियुक्त हुआ हो उसकी शेष पदावधि तक अपना पद धारण करेंगे।

(7) अवकाश ।

(क) अध्यक्ष एवं सदस्यों को वे सभी अवकाश देय होंगे, जो उन्हें अपने पैतृक विभाग में देय थे,

परन्तु गैर सरकारी व्यक्ति वर्ग–1 के पदाधिकारी की तरह छुट्टी का उपभोग कर सकेंगे।

क्र0पृ0उ0..............

(8) पेंशन ।

(क) अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य वित्त आयोग के कार्य के बदले कोई पेंशन देय नहीं होगा।

(ख) जो सदस्य, सदस्य के रुप में अपनी नियुक्ति के समय या नियुक्ति के पूर्व केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, वह जिस सेवा में था उस पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवा निवृति लाभ ले सकेगा। ऐसी दशा में अध्यक्ष या सदस्य के रुप में मिलने वाले वेतन से सकल पेंशन की समतुल्य राशि (जिसमें पेंशन का सारांशीकृत अंश भी शामिल होगा) घटा कर भुगतान किया जायेगा।

(9) सरकारी आवास, वाहन एवं दुरभाष का उपयोग ।

(क) राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को स्वतंत्र रुप से एक वाहन निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा तथा एक अन्य वाहन कॉमन पूल में रखा जायेगा जिसका उपयोग, सदस्यगण आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।

(ख) अध्यक्ष एवं सदस्यों को निःशुल्क आवास एवं दुरभाष उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) वाहनों में ईंधन की अनुमान्यता एवं दुरभाषों पर कॉल की संख्या वर्ग–1 के सरकारी सेवकों को अनुमान्य सीमा तक परिसीमित होगी।

(घ) आवास का विद्युत शुल्क अध्यक्ष/सदस्यों को स्वयं वहन करना पड़ेगा।

(ड़) सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार आवास भत्ता भुगतेय होगा।

(10) सेवा की अन्य शर्तें ।

इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यात्रा भत्ता, अवकश यात्रा रियायत, चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित इत्यादि सेवा की अन्य शर्तें वैसी होगी जैसी अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपने पैतृक विभाग में देय थी,

परन्तु गैर सरकारी व्यक्ति को वर्ग –1 की नियोक्ता की तरह सुविधाएँ देय होंगी।

(11) आयोग की प्रकिया ।

राज्य वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।

(12) आयोग की शक्तियाँ ।

(क) आयोग अपने कार्यकलाप के संपादन हेतु किसी पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संस्थाओं से कोई अभिलेख की मांग कर सकेगा,

क्र०पृ०उ०...............

(ख) कार्यकलाप के संपादन हेतु कोई अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकेगा,

(गँ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार उसे दी जाय।

(13) कठिनाई को दूर करना ।

यदि इस नियमावली के अन्तर्गत कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसे दूर कर सकेगी।

(14) निरसन और व्यावृतियाँ ।

(क) इस नियमावली के द्वारा पूर्व के सभी निर्गत नियमावली को निरस्त किया जाता है,

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

(संचिका सं0 –3प/नि॰–224/2001)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

27/1/2004

सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0
(विशेष प्रमंडल) विभाग झारखण्ड रांची।

ज्ञापांक :– 3प/नि॰–224/2001..........96........../ग्रा0 प0 रांची, दिनांक – 28/1/04

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की पांच सौ प्रतियां अविलम्ब पंचायत राज निदेशालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

27/1/2004

सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0
(विशेष प्रमंडल) विभाग झारखण्ड रांची।

कृ0पृ0उ0...............

(1)

ज्ञापांक :– उप/नि'–224/2001........96............/ग्रा0 प0   रांची, दिनांक – 28/1/04

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित।

27/1/2004

सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0
(विशेष प्रमंडल) विभाग झारखण्ड रांची।

ज्ञापांक :– उप/नि'–224/2001........96............/ग्रा0 प0   रांची, दिनांक – 28/1/04

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा/निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, झारखण्ड को सूचनार्थ अग्रसारित।

27/1/2004

सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0
(विशेष प्रमंडल) विभाग झारखण्ड रांची।